हिमाचल प्रदेश सरकार लोक निर्माण विभाग

संख्याः पी.बी.डब्लयू.-ए.बी.(6)-2/2015 तारीखः शिमला-2,

15 जुलाई, 2020

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ तकनीशियन (कार्य निरीक्षक), वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नित नियम बनाते हैं अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग किनष्ट तकनीशियन (कार्य निरीक्षक), वर्ग-III, (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नित नियम, 2020 है।
 - (ii) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- निरसन और व्यावृत्तियां। 2. (i) इस विभाग की अधिसूचना संख्या पी बी डब्लयू-ए-बी (2)-9/2004 तारीख 01-10-2008 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग कार्य निरीक्षक, वर्ग-III, (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नित नियम, 2008 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।
 - (ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम (i) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई

कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

जगदीश चन्द्र शर्मा प्रधान सचिव (लोक निर्माण) हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन सं0ः यथोपरि। तारीखः शिमला–2,

15 जुलाई, 2020

- 1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.
- 2. सहायक विधि परामर्शी एंव अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला-2.
- 4. प्रमुख अभियन्ता, हि०प्र० लोक निर्माण विभाग / सिंचाई एवं जनस्वास्थय, शिमला।
- 5. समस्त मुख्य अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग।
- 6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग।
- 7. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन, हि०प्र० शिमला—5, हिमाचल प्रदेश राजपत्र के प्रकाशन हेतू।
- 8. नोडल ऑफिसर (आई० टी०), प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, हि०प्र० लोक निर्माण विभाग शिमला।
- 9. अतिरिक्त प्रतियां 100.

हस्ता / –

(विनय सिंह) विशेष सचिव (लोक निर्माण) हिमाचल प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ तकनीशियन (कार्य निरीक्षक), वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नित नियम।

1. पद का नामः

कनिष्ठ तकनीशियन (कार्य निरीक्षक) 1797 (एक हजार सात सौ सतानवें)

3. वर्गीकरणः

वर्ग-III (अराजपत्रित)

3.(क) संवर्ग राज्य / वृत्त या मण्डलीय संवर्ग है:

2. पद (पदों) की संख्याः

राज्य संवर्ग

4. वेतनमानः

- (i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए वेतनमानः पे बैण्ड ₹ 5910—20200 जमा ₹ 1900 / —गेड पे।
- (ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियांः स्तम्भ संख्या 15—क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ₹ 7810 / —प्रतिमास।

 ''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पद अचयन।

6. सीधीं भर्ती के लिए आयुः

18 से 45 वर्षः

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों /स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधीं भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों /स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों /स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे /किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों /स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों /स्वायत्त की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं /किए गए थें।

टिप्पण: सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

- त्रीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति
 (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम
 शैक्षिक और अन्य अर्हतांएः
- (क) अनिवार्य अर्हता (एं):
 - (i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से दसवीं की परीक्षा पास की हो:

परन्तु दसवीं की परीक्षा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित किसी स्कूल/संस्थान से अवश्य उतीर्ण की होनी चाहिए:

परन्तु यह और कि यह शर्त हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासियों को लागू नहीं होगी।

- (ii) राज्य / केन्द्रीय बोर्ड / ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त / सहबद्ध किसी संस्थान से सर्वेक्षक का दो वर्षीय पूर्णकालिक आई.टी.आई डिप्लोमा या सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा।
- (ख) वाँछनीय अर्हता (एं):

हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

आयुः लागू नहीं। शैक्षिक अर्हताएः जैसी नीचे सत्म्भ संख्याः 11 में विहित है।

- 8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता (एं) प्रोन्नित की दशा में लागू होंगी या नहीं:
- 9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो:
- (i) सीधी भर्ती की दशा में:--
 - (क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।
 - (ख) संविदा के आधार पर, नियुक्ति की दशा में कोई परिवीक्षा नहीं होगी।
 - (ii) प्रोन्नति की दशा में: लागू नहीं।

- 10. भर्ती की पद्धितः भर्ती सीधी होगी प्रोन्नित / सैंकेण्डमैण्ट / स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतताः
- 11. प्रोन्नति, सैकेण्डमैण्ट / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसें <u>प्रोन्नति / सैंकेण्डमैण्ट /</u> स्थानान्तरण किया जाएगाः
- (i) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ,यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा; और
- (ii) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।
- (i) मेटों / बेलदारों में से प्रोन्नित द्वारा, जिनके पास राज्य / केन्द्रीय बोर्ड / ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त सहबद्ध किसी संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय पूर्णकालिक डिप्लोमा हो और जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सिम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर कोटा निम्न स्तम्भ 11 (ii) को दे दिया जाएगा

.....पांच प्रतिशत

(ii) मेटों / बेलदारों में से प्रोन्नित द्वारा, जिनके पास राज्य / केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान / संस्था से सर्वेक्षक / ड्राफट्समैन (सिविल) के ट्रेड में दो वर्षीय पूर्णकालिक आई.टी. आई. प्रमाण पत्र सिहत जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सिम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर कोटा निम्न स्तम्भ 11 (iii) को दे दिया जाएगा

.....पांच प्रतिशत

(iii) मेंटो में से प्रोन्नित द्वारा, जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं पास हों और सडकों / भवनों में कार्यरत हों और जो किसी विशिष्ट ट्रेड जैसे कारपेन्टर, इलैक्ट्रिशियन, पलम्बर आदि के साथ सहबद्ध नहीं हैं और जिनका आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर कोटा निम्न स्तम्भ 11 (iv) को दे दिया जाएगा

.....पन्द्रह प्रतिशत

(iv) बेलदारों में से प्रोन्नित द्वारा, जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं पास हों और सडकों / भवनों में कार्यरत हों और जो किसी विशिष्ट ट्रेड जैसे कारपेंटर, इलैक्ट्रिशियन, पलम्बर आदि के साथ सहबद्ध नहीं हैं और जिनका बीस वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके बीस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर कोटा निम्न स्तम्भ 11 (v) को दे दिया जाएगा

.....आठ प्रतिशत

(v) बेलदारों में से प्रोन्नित द्वारा, जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दस जमा दो की परीक्षा पास हों और सडकों / भवनों में कार्यरत हों और जो किसी विशिष्ट ट्रेड जैसे कारपेंटर, इलैक्ट्रिशियन, पलम्बर आदि के साथ सहबद्ध नहीं हैं और जिनका पंद्रह वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पंद्रह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर कोटा निम्न स्तम्भ 11 (vi) को दे दिया जाएगा

.....बारह प्रतिशत

(vi) बेलदारों में से प्रोन्नित द्वारा, जो किसी विश्वविद्यालय से स्नातक या इससे ऊपर की अर्हता रखते हों और सडकों / भवनों में कार्यरत हों और जो किसी विशिष्ट ट्रेड जैसे कारपेंटर, इलैक्ट्रिशियन, पलम्बर आदि के साथ सहबद्ध नहीं हैं और जिनका दस वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके दस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर कोटा पुनः उपरोक्त स्तम्भ 11 (i) को दे दिया जाएगाः

.....पांच प्रतिशत

परन्तु कनिष्ठ तकनीशियन (कार्य निरीक्षक) के पदों को भरने के लिए निम्नलिखित बीस बिन्दु रोस्टर का अनुसरण किया जाएगा:-

कम संख्या	रोस्टर बिन्दु संख्या	प्रवर्ग
(i)	पहला, दूसरा, चौथा, आठवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां,	सीधीं भर्ती के लिए
	सोलहवां, आठारहवां और बीसवां	
(ii)	तीसरा	प्रवर्ग (i) के लिए
(iii)	नौवां	प्रवर्ग (ii) के लिए

(iv)	पांचवा, चौदहवां और सतरहवां	प्रवर्ग (iii) के लिए
(v)	छटा और तेरहवां	प्रवर्ग (iv) के लिए
(vi)	सातवां और उन्नीसवां	प्रवर्ग (v) के लिए
(vii)	पन्द्रहवां	प्रवर्ग (vi) के लिए

टिप्पणः रोस्टर प्रत्येक बीसवें बिन्दु के पश्चात् तब तक दोहराया जाता रहेगा जब तक कि समस्त संमरक प्रवर्गों को विहित प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता। तत्पश्चात् रिक्ति को उसी प्रवर्ग में भरा जाएगा जिससे पद रिक्त हुआ है:

परंतु प्रोन्नित के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/किठन/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी:

पंरन्तु यह और कि दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती / स्थानान्तरण के सिवाय उपरोक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि, पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नित के मामले में लागू नहीं होगी:

पंरन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों / कर्मचारियों को, जिन्होने जनजातीय / कठिन / दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I: उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से साधारणतया तीन वर्ष की अविध या प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/ सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अविध अभिप्रेत होगी ।

स्पष्टीकरण II: उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय / कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:—

- 1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
- 2. चम्बा जिला का पाँगी और भरमौर उप-मण्डल।
- 3. रोहडू उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।
- 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
- 5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।
- 6. काँगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
- 7. जिला किन्नौर।

- 8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़—भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।
- 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल—बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल पटवार वृत्त, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह—भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच—बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।

स्पष्टीकरण —III: उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए दुरस्थ / ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:—

- (i) उप-मण्डल / तहसील मुख्यालय से 20 किलामीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान।
- (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।
- (iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना, अपने गृहनगर या गृहनगर क्षेत्र के साथ लगता 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।

प्रोन्नित के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नित के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नित भर्ती और प्रोन्नित नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी':

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई किनष्ट व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सिहत, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहाँ उससे विरुष्ठ सभी व्यक्ति अपने—अपने प्रवर्ग/पद/कांडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएगें और विचार करते समय किनष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नित के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नित नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी: परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नित किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नित के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण :— अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत किनष्ठ पदधारी प्रोन्नित के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यि विष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसने आपातकाल के दौरान सशस्त्र बलों में कार्यग्रहण किया था और जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमेन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

इसी प्रकार, स्थायीकरण के सभी मामलों मे ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नित से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नित उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नित नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नित समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचनाः विभागीय प्रोन्नित समिति / स्थाईकरण समिति जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाः जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाः

किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट—I में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार मूल्यांकन के पश्चात् लिखित परीक्षा के गुणागुण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना

15—क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः आवश्यक या समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यावहारिक परीक्षण या दक्षता परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के अनुसार इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट—I में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार मूल्यांकन के पश्चात् लिखित परीक्षा के गुणागुण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यकम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी:—

(I) संकल्पनाः

(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ तकनीशियन (कार्य निरीक्षक) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर और आगे बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) <u>पद का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के</u> कार्यक्षेत्र में आनाः

प्रमुख अभियन्ता, (लोक निमार्ण विभाग), हिमाचल प्रदेश रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग / हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र में न आने वाले पदः

प्रमुख अभियन्ता, (लोक निमार्ण विभाग), हिमाचल प्रदेश रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् रिक्त (पद) के ब्यौरे कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञाप्ति करवाएगा और विहित अर्हताएं और इन नियमों में यथा विहित अन्य पात्रता शर्तें पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमन्त्रित करेगा।

(II) <u>संविदात्मक उपलब्धियाः</u>—

संविदा के आधार पर नियुक्त किनिष्ठ तकनीशियन (कार्य निरीक्षक) को ₹ 7810 / —की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष / वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ₹ 234 / — (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी

(III) <u>नियुक्ति / अनुशासन प्राधिकारीः</u>

प्रमुख अभियन्ता, (लोक निमार्ण विभाग), हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) <u>चयन प्रकियाः</u>

संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट—। में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार मूल्यांकन के पश्चात् लिखित परीक्षा के गुणागुण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो, पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यावहारिक परीक्षण या दक्षता परीक्षण या शारीरिक

परीक्षण के अनुसार इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट—I में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार मूल्यांकन के पश्चात् लिखित परीक्षा के गुणागुण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यकम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के चयन के लिए समिति:— जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा समय—समय पर गठित की जाए।

(VI) करारः अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट—।। के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तैः

- (क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति ₹7810 / -प्रतिमास की दर से समेकित संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष / वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ₹ 234 / - (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रस्विधाएं जैसे वरिष्ट / चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
- (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि

संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेशों से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास (ग) की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

> अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनिधकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य से अनिधकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर

हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

- (ड) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
- चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा (च) में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप जैसे पुलिस संगठनों आदि, के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने नियुक्त किया जाना है और यदि वाले पदों के विरूद्ध उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा और यदि वह उपरोक्त यथाविनिर्दिष्ट प्राधिकारी से आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्त्त

करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

- (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।
- (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0 आर0—एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी बीमा स्कीम के साथ—साथ ई.पी.एफ. / जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय—समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछडे वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

लागू नहीं।

जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी / किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगा / सकेगी।

16. आरक्षणः

17. विभागीय परीक्षाः

18. शिथिल करने की शक्तिः

1.	लिखित परीक्षा	85 अंक
	{लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 85 अंकों में से परिकलित की	
	जानी है। उदाहरणार्थ, लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने	
	वाले अभ्यर्थी को 42.5 अंक दिए जाएंगे}।	
2.	अभ्यर्थी का मूल्यांकन निम्नलिखित रीति में किया जाना है:-	15 अंक
	i) भर्ती और प्रोन्नित नियमों में विहित न्यूनतम शैक्षिक	
	अर्हता हेतु वरीयता। =2.5 अंक	
	{शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 0.025 से गुणा की जाएगी। उदाहरणार्थ, किसी व्यष्टि ने अपेक्षित शैक्षिक अर्हता	
	में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, जो उसे 1.25 अंक	
	(50 x 0.025 =1. 25) अनुज्ञात किए जाएंगे}।	
	ii) यथास्थिति, अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र या पंचायत से	
	सम्बन्धित। = 01 अंक	
	iii) भूमिहीन कटुम्ब / एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को	
	सम्बद्ध राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।	
	= 01 अंक	
	iv) इस प्रभाव का गैर— नियोजन प्रमाण—पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध सरकारी सेवा में नहीं है।	
	= 01 अंक	
	v) 40 प्रतिशत विकृति / निःशक्तता / दुर्बलता से	
	अधिक वाले दिव्यांगजन। = 01 अंक	
	vi) एन.एस.एस. (कम से कम एक वर्ष) एन.सी.सी. में प्रमाण— पत्र धारक/भारत स्काउट और गाइड/राष्ट्रीय स्तर की	
	खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता। = 01 अंक	
	vii) सरकार द्वारा समय—समय पर यथाविहित 40,000/—	
	रूपए से कम (समस्त स्त्रोतों से) वार्षिक आय वाला	
	बी0पी0एल0 कुटुम्ब। = 02 अंक viii) विधवा / तलाक शुदा / अकिंचन / एकल महिला।	
	= 01 अंक	
	ix) इकलौती पुत्री / अनाथ = 01 अंक	
	x) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से_आवेदित पद	
	से सम्बन्धित कम से कम छह मास की अविधि का	
	प्रशिक्षण। = 01 अंक	
	xi) सरकारी / अर्धसरकारी सगंउन में, आवेदित पद से सम्बन्धित	
	अधिकतम पांच वर्ष तक का अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए	
	वर्ष के लिए 0.5 अंक) = 2.5 अंक	

किनष्ठ तकनीशियन (कार्य निरीक्षक) और प्रमुख अभियन्ता (लोक निर्माण विभाग), हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा / करार का प्ररूप।

	यह क	रार श्री / श्रीमती		पुत्र / पुत्री %	री		
	निवासी		संविदा प	पर नियुक्त व्य	क्ति (जिसे	इसमें इसके	पश्चात्
प्रथम	पक्षकार	कहा गया है) और प्रमुख अभियन्ता,	(लोक ि	नेर्माण विभाग),	हिमाचल	प्रदेश के (जि	से इसमें
इसके	पश्चात्	द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के मा	ध्यम से उ	आज तारीख		को किया	गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने किनष्ट तकनीशियन (कार्य निरीक्षक) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :--

परन्तु संविदा अविध में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अविध नवीकृत / विस्तारित की जाएगी।

- 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ₹ 7810 / रूपए प्रतिमास होगी।
- 3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।
- 4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकिस्मक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा / होगी । संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सिहत गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनिधक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के

लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (डयूटी) से अनिधकृत अनुपस्थित से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य से अनिधकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अविध अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अविध के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

- 6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा / होगी, जहाँ भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।
- 7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप जैसे पुलिस संगठनों आदि के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरूद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा—शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थिगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा और यदि वह उपरोक्त यथाविनिर्दिष्ट प्राधिकारी से आरोग्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

- 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।
- 9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ—साथ ई०पी०एफ० / जी०पी०एफ० भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने—अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

सा	क्षियों की उपस्थिति में:	
1.		
	(नाम व पूरा पता)	
		(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)
2.		
	(नाम व पूरा पता)	
		(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)।''।

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT NOTIFICATION No. PBW-AB (6)-2/2015 DATED 15.07.2020, AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA)

Government of Himachal Pradesh Public Works Department.

No. PBW-AB (6)-2/2015

Dated Shimla-2 the

15th July, 2020

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Junior Technician (Work Inspector), Class-III (Non- Gazetted) in Public Works Department, Himachal Pradesh as per Annexure 'A' attached to this notification, namely:-

Short title and Commencement

- (1) (i) These rules may be called the Himachal Pradesh Public Works Department, Junior Technician (Work Inspector), Class- III (Non- Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2020.
 - (ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-gazette). Himachal Pradesh.

Repeal and Savings

- (i) The Himachal Pradesh Public Works Department (2) Work Inspector Class-III, (Non Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2008, notified vide this department notification No. PBW-A-B (2)-9/2004 dated 01.10.2008 are hereby repealed.
 - (ii) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (i) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order

Jagdish Chander Sharma Principal Secretary (PW) to the Government of Himachal Pradesh. Endst.No. As above Dated Shimla-2, 15th July ,2020

Copy is forwarded to:-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of HP. Shimla-2.
- 2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary Law to the Govt. of H.P.
- 3. The Secretary, HP, Public Service Commission Shimla-2.
- 4. The Engineer-in-Chief, HP PWD/IPH, Shimla.
- 5. All the Chief Engineers, H.P.P.W.D. in Himachal Pradesh.
- 6. All the Superintending Engineers, HPPWD, Civil/Electrical/Mechanical in H.P.
- 7. The Controller, Printing & Stationary Department, Himachal Pradesh, Shimla-2
- 8. The Nodal Officer (IT) O/o ENC, HPPWD Shimla for uploading this notification on official website of HPPWD.
- 9. Guard file.

-SD-(Vinay Singh) Special Secretary (PW) to the Government of Himachal Pradesh.

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF JUNIOR TECHNICIAN (WORK INSPECTOR), CLASS-III (NON-GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS, HIMACHAL PRADESH.

.....

1.	Name of the post	Junior Technician (Work Inspector)
2.	Number of posts	1797 (One thousand seven hundred ninty seven)
3.	Classification:	Class-III (Non-Gazetted)
3.(a)	Whether the cadre is	State Cadre
	State/Circle or Division Cadre	
4.	Scale of pay:	i) Pay scale for regular incumbent(s);
		Pay band ₹5910-20200 plus ₹ 1900/-
		Grade Pay
		ii) Emoluments for contract employees
		₹ 7810 P.M. as per details given in
		Column No. 15-A.

5. Whether "selection" post or "Non-Selection" post:

None a of the most

6. Age for direct recruitment

Non-Selection

Between 18 to 45 years.

Innian Taskaisian (Wark Inspector)

Provided that upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he / she was appointed as such he /she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his / her such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector-Corporations /Autonomous Bodies at the time of initial of such constitutions of such Corporations / Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to the Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations / Autonomous Bodies and who are / were finally absorbed in the service of such Corporations / Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporation / Autonomous Bodies.

Note: Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post (s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s):

(a) Essential Qualification(s):

i) Should have passed Matric from a recognized
 Board of School Education. Provided that
 Matriculation must be passed from any

- School/Institution situated within Himachal Pradesh. Provided further that this condition shall not apply to Bonafide Himachalis.
- ii) Full time two years ITI Diploma in Surveyor or three years Diploma in Civil Engineering from an Institution duly recognized/affiliated by the State/ Central/ Board/AICTE.

(b) <u>Desirable Qualification(s):</u>

Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotion(s)

Age: Not-applicable

Educational Qualifications:

As prescribed in Column No. 11 below.

(i) Direct recruitment:-

- (a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
- (b) No probation in case of appointment on contract basis.

(ii) Promotion: Not applicable

i) 50% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be.

the grade; failing which the quota will go to

- ii) 50 % by promotion.
- i) By promotion from amongst the Mates/Beldars who posses three (3) years full time diploma in Civil Engineering from an Institution duly recognized/ affiliated by the State/Central Board/AICTE with three years regular services or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in

Column 11 (ii) below.

.....5%

9. Period of probations, if any:

- 10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment / transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods:
 - 11. In case of recruitment by promotion/ secondment/ transfer, grade(s) from which promotion/ secondment/ transfer is to be made:

ii) By promotion from amongst the Mates/Beldars who posses two (2) years full time ITI certificate in the trade Surveyor/Draughtsman (Civil) from a recognized ITI/Institute duly recognized by State/Central/Government with five years regular service or regular combined with continuous adhoc service

rendered, if any in the grade failing which the quota will go to Column 11 (iii) below.

.....5%

By promotion from amongst the Mates who are Matriculate from a recognized Board and working on roads/buildings and who have not been attached with any particular trade such as Carpenter, Electrician, Plumber etc. and having minimum eight (8) years regular or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any in the grade failing which the quota will go to Column 11 (iv) below.

.....15%

iv) By promotion from amongst the Beldars who are Matriculate from a recognized Board and working on roads/buildings and who have not been attached with any particular trade such as Carpenter, Electrician, Plumber etc. and having minimum twenty (20) years regular or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any in the grade failing which the quota will go to Column 11 (v) below.

.....08%

v) By promotion from amongst Beldars who are 10+2 from a recognized Board and working on roads/buildings and who have not been attached with any particular trade such as Carpenter, Electrician, Plumber etc. and having minimum fifteen (15) years regular or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any in the grade failing which the quota will go to Column 11 (vi) below.

.....12%

vi) By promotion from amongst Beldars who are Graduate or above from a recognized University and working on roads/buildings and who have not been attached with any particular trade such as Carpenter, Electrician, Plumber etc. and having minimum ten (10) years regular or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any in the grade failing which the quota will go to Column 11 (i) below.

.....05%

Provided that for filling up the posts of Junior Technician (Work Inspector), the following 20 points roster shall be followed:-

Roste	r point No.	<u>Category</u>			
1 st , 2 nd	¹ , 4 th , 8 th , 10 th , 11 th , 12 th , 16 th , 18 th , & 20 th .	Direct recruitment			
(i)	3^{rd}	Category (i)			
(ii)	9 th	Category (ii)			
(iii)	5 th , 14 th , 17 th ,	Category (iii)			
(iv)	6 th , 13 th ,	Category (iv)			
(v)	7 th , 19 th ,	Category (v)			
(vi)	15 th	Category (vi)			

Note:- The roster will be stated every 20 vacancy till the representation to all feeder categories is achieved up to the prescribed percentage. Thereafter, the vacancy will be filled up from the category which vacates the post.

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult/Hard areas subject to adequate number of posts(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (1) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting/transfer in remote/rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion.

Provided further that Officer(s)/Officials(s) who have not served at least one tenure in Tribal/difficult/Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation-I: For the purpose of proviso 1 supra the "term" in Tribal/Difficult/Hard areas/ rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience.

Explanation-II:- For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-

- 1. District Lahaul & Spiti.
- 2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
- 3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub Division.
- 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat of Rampur Tehsil of District Shimla.
- 5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
- 6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
- 7. District Kinnaur.
- 8. Kathwar and Korga Patwar circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil in Sirmour District.
- 9. Khanyol-Bagra Patwar circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Shilh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sundernagar Tehsil in Mandi District

Explanation-III:- For the purpose of proviso (1) Supra the Remote/Rural Areas shall be as under:-

(i) All stations beyond the radius of 20 Kms. from Sub Division/Tehsil headquarter.

- (ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District head quarters where bus service is not available and on foot journey is more than 03 (three) Kms.
- (iii) Home town or area adjoining to area to home town within the radius of 20 Kms of the employee regardless of its category.

In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the proceeding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:- The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Servicemen **who have joined Armed Forces during the period of emergency** and recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services), Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service; if the adhoc appointment/ promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation continuous after taking into account, adhoc service as rendered to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is

Departmental Promotion Committee/ Confirmation Committee as may be constituted by the Govt. from composition:

time to time.

13. Circumstances under, which the Himachal Pradesh Public Service Commission (HPPSC) is to be consulted in making recruitment.

As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.

A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment

Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if the Himachal Pradesh staff Selection Commission or other recruiting agency/authority as the case may be so considers necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, preceded by a screening test (objective practical test or type) skill test. standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/other recruiting agency/authority as the case may be.

15-A Selection for appointment to the post by contract recruitment.

Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

(I) **CONCEPT:**

(a) Under this policy the Junior Technician (Work Inspector) in Department of Public Works of Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period one year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the years and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) <u>POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF</u> HPSSC:-

The Engineer-in-Chief (HPPWD) after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency, i.e. H.P. Staff Selection Commission, Hamirpur.

(c) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HPPSC/HPSSC:-

The Engineer-in-Chief (HPPWD) after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in atleast two leading news paper and invite applications from the candidates having the prescribed qualification and fulfilling the other eligibility condition as prescribed in these rules.

(II) <u>CONTRACTUAL EMOLUMENTS:</u>

The Junior Technician (Work Inspector) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 7810/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of 234(3% of the minimum of pay band) grade pay of the post) as annual increase in the contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) <u>APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:</u> The Engineer-in-Chief, H.P.P.W.D., H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) **SELECTION PROCESS:-**

Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if the Himachal Pradesh Staff Selection Commission or other recruiting agency/authority, as the case may be, so considers necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus, etc. or which will be determined by the Commission/ other recruiting agency/authority as the case may be.

(V) <u>COMMITTEE</u> <u>FOR SELECTION OF</u> <u>CONTRACTUAL APPOINTMENTS:-</u>

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P. Staff Selection Commission, Hamirpur from time to time.

(VI) AGRREEMENT:-

After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per **Appendix-II** appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:-

- (a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount ₹.7810/· PM (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for annual increase in contractual amount ₹234/· (3% of minimum of the pay band+ grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scale etc. will be given.
- (b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, with in a period of 45 days, from the date on which a copy of order(s) appealed, is delivered to him/her.
- (C) Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one-month service, 10 day's Medical leave and five days special leave in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee

shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No. leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated up to the calendar year and will not be carried forward for the next year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the of the Controlling Officer shall approval automatically lead to the termination of the contract. However. in exceptional cases where circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

- (e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
- (f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties e.g. in Police organizations, etc. they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or over shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness

certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

- (g) Contract appointee will be entitled to TA/DA, if required to go on tour in connection with his/her official duty at the same rate as applicable to regular official at the minimum of the pay scale
- (h) Provisions of service Rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employee will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other Backward Class / other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to

time.

Not applicable.

Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, be order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

16. Reservation:

17. Departmental-Examination:

18. Powers to relax:

		WRITTEN TEST			
1.	{Perce	entage of marks obtained in written examination to be calculated	85		
	out of	out of 85 marks. For example, a candidate getting 50% marks in written			
	examination will be given 42.5 marks}				
2.		on of candidate to be made in the following manner:-			
	(i)	Weightage for the minimum educational qualification, prescribed	15		
		in the Recruitment & Promotion Rules. = 2.5 Marks	Marks		
		{Percentage of marks obtained in the educational qualification			
		would be multiplied by 0.025. for example, an individual has			
		secured 50% marks in the required educational qualification,			
		he/she will be allowed 1.25% (50 x 0.025=1.25)}			
	(ii)	Belonging to notified Backward Area or Panchyat, as the case			
		may be. $= 01 \text{ Mark}$			
	(iii)	Land less family/family having land less than 1 Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority. =01 Mark			
	(iv)	Non-employment Certificate to the effect that none of the family			
	()	members is in Government/Semi-Government service. = 01 Mark Differently abled persons with more than 40%			
	(v)	Differently abled persons with more than 40% impairment/disability/infirmity. = 01 Mark			
	(vi)	NSS (atleast one year)/certificate holders in NCC/The Bharat			
	(1)	Scout and Guide/Medal winner in National Level sports			
		competitions. =01 Mark			
	(vii)	BPL family having annual income (from all sources) below Rs.			
	(112)	40,000/- or as prescribed by the Govt. from time to time.			
		=02 Marks			
	(viii)	Widow/divorced/destitute/single woman. =01 Mark			
	(ix)	Single Daughter/Orphan. =01 Mark			
	(x)	Training of atleast 6 months duration related to the post applied			
		for from a recognized University/Institution. =01 Mark			
	(xi)	Experience upto a maximum of 5 years in Govt./Semi Govt.			
		Organization relating to the post applied for (0.5 marks only for			
		each completed year) $= 2.5 \text{ Marks}$			

"APPENDIX-II"

FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE JUNIOR TECHNICIAN (WORK INSPECTOR) AND THE GOVERNMETN OF HIMACHAL PRADESH THROUGH ENGINEER-IN-CHIEF, HP PUBLIC WORKS DEPARTMENT.

This ag	greement is m	nade on	this		. day	of			in	the	year
between	Smt./Sh				S/o/D/o	Sh					
resident	of										
	contrac	t appoint	ee (hereinafter	called	the	FIRST	PARTY), ,	AND	the
Governor Himachal Pra	desh through E	ngineer-in	ı-Chi	ef, HP Publ	ic Wor	ks I	Departmen	nt, (here	inaf	ter c	alled
the SECOND PARTY).	_						-				

WHEREAS, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Junior Technician (Work Inspector) on contract basis on the following terms and conditions:-

- 2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs 7810/- per Month.
- 3. The service of contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of order (s) appealed, is delivered to him/her.
- 4. The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days'(irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. no leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on

medical grounds such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

- 6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis, wherever required on administrative grounds.
- 7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, e.g. Police organizations, etc, and they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks standing or over shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate to be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.
- 8. Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular official at the minimum of pay scale.
- 9. The employee's group insurance as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

(2) Signature of Second party)

IN THE PRESENCE OF WITNESS

1.		
	(Name and full address)	
		(1) Signature of the First party)
2		
	(Name and Full Address)	